

Tender Fee
By Demand Draft Rs.500/-

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
(मानद विश्वविद्यालय)
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड़, जयपुर-302002

फर्म का नाम एवं पता
.....
मो. नंबर
E-Mail ID

निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : **Rate Contract for Hiring of Cars**
2. निविदादाता का पूरा नाम व पता :
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. निविदा शुल्क के रूपये डी.डी. नं.दिनांकके द्वारा जमा करा दिये गये हैं।
5. धरोहर राशिरूपये डी.डी. नं.दिनांकके द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में जमा कर दी है।
6. सभी संलग्न कुल.....दस्तावेज पृष्ठ संख्या.....से.....तक अंकित है एवं स्वहस्ताक्षर सहित है।
7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय रबड़ स्टाम्प)

स्थान:

दिनांक :

फर्म का नाम.....
(मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
 (मानद विश्वविद्यालय)
भारत सरकार द्वारा संस्थापित)
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड़,
जयपुर-302002 (राजस्थान)

निविदा शर्ते

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन है जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाये जाने एवं उसका विकास करने के लिए विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापकों, वैद्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य करवाये जाने के साथ आयुर्वेद पद्धतिसे बिमारियों का इलाज करता है, जो निम्नलिखितानुसार Rate Contract for Cars के लिएबाजार में कार्यरत फर्मों से सम्पूर्ण विवरण सहित ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर भरा जावेगा।

क्र.सं.	नाम वस्तु	निविदा अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1	Rate Contract for Hiring of Cars	10,00,000/-	20,000/-

1. निविदादाता द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल पर निविदा निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी -

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रारंभ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	19-11-2021 09:00 AM
2.	निविदा ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	29-11-2021 02:00 PM
3.	निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का डी.डी. संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	29-11-2021 02:00 PM
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	30-11-2021 02:00 PM

2. निविदादाता को धरोहर राशि 20,000/- का बैंक ड्राफ्ट निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आमेर रोड़, जोरावरसिंह गेट जयपुर-302002 (राजस्थान) के नाम प्रेषित करना अनिवार्य होगा, चैक व एफ.डी.आर. मान्य नहीं होगी तथा अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में प्रारम्भिक रूप से ही निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा फार्म सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर भरा जावेगा। निविदा फार्म शुल्क राशि 500/- का डी.डी. निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बनाया जाकर धरोहर राशि के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। निविदा शुल्क वापस नहीं दिया जावेगा तथा निविदा भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 29-11-2021 को 02:00 PM बजे तक रहेगी।

4. निविदा की फाईनेन्सियल एवं टेक्नीकल बिड पृथक्-पृथक् होगी। फाईनेन्सियल बिड में आमंत्रित की गई निविदा की दरें होंगी जो **CPP Portal** पर **Online** भरी जायेगी तथा टेक्नीकल बिड में निविदा में चाहे गये वांछित दस्तावेज होंगे जो ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे।
5. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित **BOQ** में **Online** अंकों में **Online CPP Portal** पर भरनी होगी। निविदा में दरें डेसीमल में मान्य नहीं होंगी।
6. निविदादाताओं को गाड़ी की 150/250 किलोमीटर की Running के पश्चात् प्रति किलोमीटर की दरें भी **BOQ** में **Online** भरना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा टेक्नीकल बिड में फर्म का रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार, जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, फर्म को ब्लेकलिट ना होने का शपथ पत्र, अनुज्ञाधारी डीलर तथा विगत तीन वर्षों का फर्म का टर्नओवर, फर्म का कार्य अनुभव, फर्म का सरकारी कार्यालयों में कार्य का अनुभव तथा गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन (RC), गाड़ीयों के इंश्योरेंस दस्तावेज, RTO क्लायरेंस का दस्तावेज, Road Tax Paid, गाड़ी का प्रदूषण व फिटनेस प्रमाण पत्र एवं चालक का हैवी लाईसेंस इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
8. प्राप्त निविदा की पहले टेक्नीकल बिड संस्थान क्रय समिति के समक्ष दिनांक 30-11-2021 को 02:00 PM बजे खोली जावेगी। टेक्नीकल बिड में सफल निविदादाताओं की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
9. फाईनेन्सियल बिड में सफल निविदादाताओं द्वारा निविदा में स्वीकृत दरों के मूल्य का 3 प्रतिशत सिक्यूरिटी राशि का डी.डी. एवं 500/-के नॉनज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा में निर्धारित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट आदेश दिया जावेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
10. सफल निविदादाताओं द्वारा आदेश में अंकित दरों के अन्तर्गत कार्य करना होगा। आदेशित कार्य न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. टोल टैक्स, पार्किंग आदि का व्यय की वास्तविक राशि तक का भुगतान मूल रसीद संलग्न करने पर पृथक् से किया जावेगा।
12. वाहन सुव्यवस्थित एवं उसकी सीटे आरामदायक होनी चाहिये।
13. वाहन चालक को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही वाहन चलाना होगा तथा वाहन चालक द्वारा शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यक्रम स्थगित / निरस्त किया जाता है तो संस्थान द्वारा वास्तविक किलोमीटर (जयपुर मुख्यालय से संस्थान एवं वापस मुख्यालय तक) का ही व्यय देय होगा।
15. शिविर/यात्रा पर प्रस्थान एवं वापसी लौटने तक का प्रभारी अधिकारी से वाहन के द्वारा की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में बिल का भुगतान करना संभव नहीं होगा।

16. शिविर /यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ववाहन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज अर्थात् वाहन चालक का लाइसेन्स, R.C., इंश्योरेन्स, वाहन फिटनेश, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट इत्यादि पूर्ण होने चाहिये इन अपेक्षित दस्तावेजों की छाया प्रति शिविर समन्वयक प्रभारी अधिकारी एवं अन्य प्रभारी अधिकारी, रा.आ.सं. जयपुर को जमा करवानी होगी। यदि यात्रा के दौरान कोई कठिनाई/परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/ निविदादाता की होगी ।
17. वाहन चालक / परिचालक व्यवहारिक अनुशासित होना चाहिये, यदि चालक / परिचालक के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
18. संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वाहन की मांग करने पर निविदादाता द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में संस्थान द्वारा अन्य वाहन ले जाने पर उसकी अन्तर राशि एवं संस्थान द्वारा निर्धारित पैनलटी राशि निविदादाता से वसूल की जायेगी।
19. निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन यदि रास्ते में कही खराब हो जाता है तो उक्त फर्म द्वारा दूसरा वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा। दूसरा वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में पैनलटी व संस्थान द्वारा दूसरे वाहन से गंतव्य स्थान तक पहुँचने पर व्यय किया गया कुल खर्च निविदादाता फर्म से वसूल किया जायेगा।
20. फर्म द्वारा शिविरों के आयोजन पर भेजे जाने वाले A.C. वाहन में A.C. की परिभाषा स्पष्ट दर्शायी जानी चाहिये अर्थात् गर्मी व वर्षा के मौसम में ठण्डी हवा Aircool तथा ठण्डे मौसम में गर्म हवा Warmer होना चाहिये।
21. वाहन संस्थान से रवाना होने के बाद एक दिन में न्यूनतम 150/250 किलोमीटर प्रति दिन तथा उसके बाद 150/250 किलोमीटर से अधिक गाड़ी चलने पर प्रति किलोमीटर की दर देय होगी तथा 150/250 किलोमीटर की Running का समय संस्थान से गाड़ी रवाना होने के बाद से माना जायेगा।
22. वाहन संस्थान से रवाना होकर जिले तक पहुँचने तक यदि सुबह के 4-5 बजे तक पहुँचता है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नहीं होगा तथा वापसी में जिले से संस्थान तक यदि सुबह के 4-5 बजे तक पहुँचती है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नहीं होगा।
23. निविदादाता फर्म के किन्हीं दो सरकारी कार्यालयों में दो वर्ष का गाड़ीयाँ चलाने का कान्ट्रेक्ट होना आवश्यक होगा ।
24. निविदादाता फर्म को कान्ट्रेक्ट दिये जाने पर रात्रि विश्राम के चार्जेज की गणना रात्रि 11.00 बजे पश्चात से की जावेगी ।
25. यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर मरम्मत आदि का व्यय वाहन स्वामी / निविदादाता का होगा, संस्थान द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
26. वाहनों के कुल यात्रा किलोमीटर एवं मीनीमम किलोमीटर जो भी अधिक होगा भुगतान योग्य होगा ।
27. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी । यह अवधि अनुबन्ध के पूर्ण होने के पश्चात भी आवश्यक होने पर एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये (आपसी सहमति द्वारा) पुरानी दरों पर बढ़ाई जा सकती है, जो कि निविदादाता को

मान्य होगा। जिसके लिये 500/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।

28. फर्म द्वारा सन्तोषप्रद कार्य नहीं करने पर कॉन्ट्रैक्ट निरस्त किया जा सकता है।
29. सम्बन्धित फर्म को शापथ-पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्त संस्था द्वारा अयोग्य (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है।
30. निविदादाता को नियमानुसार GST/TAX/अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा।
31. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को होगा ।
32. निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा ।
33. निविदा खुलने के बाद निविदादाता द्वारा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो संस्थान को अमानत एवं सिक्यूरिटी राशि जप्त करने का अधिकार होगा तथा फर्म पर जीएफआर अनुसार कार्यवाही की जावेगी। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
34. निविदा की फाइनेन्सियल बिड खोलने पर सभी आइटमों में जिस फर्म की ऑवरआल दरे न्यूनतम होगी उसी फर्म को कार्यदिशा दिया जायेगा।
35. न्यूनतम दर होने के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर एक से अधिक फर्मों की आती है, तो ऐसी स्थिति में फर्मों का विगत तीन वर्ष का टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में कार्य करने का अनुभव जिसका अधिक एवं कार्य प्रफोरमेन्स जिसकी जितनी अच्छी होगी मूल्यांकन किया जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी।
36. प्राप्त निविदा को किसी भी समय, बिना सूचना के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा ।
37. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिये गये कार्य की अवधि पूर्ण होने पर सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जायेगी।
38. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
39. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरानामा प्रस्तुत नहीं कर देते।
40. वाहन के 24 घण्टे की गणना वाहन संस्थान से रवाना होने के समय से की जावेगी
41. निविदादाता फर्म अथवा निविदादाता फर्म के स्वामी के नाम से कम से कम 05 बड़े वाहन एवं 10 छोटे वाहन पिछले तीन वर्षों से रजिस्टर्ड हो।

42. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैंने /हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/है ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्त स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

टेक्नीकल बिड फॉर्म

क्रं सं	चाहे गये दस्तावेज	पृष्ठ संख्या
01	फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र	
02	उद्योग आधार प्रमाण पत्र	
03	जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र	
04	आयकर चुकता प्रमाण पत्र	
05	फर्म को ब्लेकलिस्ट ना होने का शपथ पत्र	
06	फर्म का टर्नओवर के दस्तावेज	
07	फर्म का कार्यअनुभव दस्तावेज	
08	सरकारी कार्यालयों में कार्यअनुभव दस्तावेज	
09	गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन (RC)	
10	गाड़ीयों का इन्शोरेन्स का दस्तावेज	
11	RTO Clearance दस्तावेज	
12	Road Tax paid का दस्तावेज	
13	गाड़ी फिटनेस का दस्तावेज	
14	वाहन चालक का हेवी लाईसेन्स का दस्तावेज	
15	PUC का दस्तावेज	

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म की मोहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम.....

.....

.....

.....

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)